

दिल्ली सरकार
समाज कल्याण विभाग
7वीं मंजिल, एमएसओ बिल्डिंग, आईटीओ
आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002
(प्रशासनिक शाखा)

एफ. 44 (79) / 2023 / डीएसडब्ल्यू / प्रशासन / पार्टफाइल / 3105-3164 दिनांक: 4/7/25

परिपत्र

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या एफ.सं. 10 (10) / 2025-2026-क्र.सं एवं भाषा/हि.सं. / 1077-1157 दिनांक 11.06.2025 के अनुसरण में सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ाने तथा हिंदी भाषा में कार्य करने के प्रति अधिकारियों/कर्मचारियों में रुचि उत्पन्न करने के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिता 2025-2026 के आयोजन के संबंध में।

सभी उप निदेशक/अधीक्षक/डीडीओ/गृह/संस्थाओं के प्रधान सचिव, डीएसडब्ल्यू, नई दिल्ली से अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत सभी कर्मचारियों को विविध हिंदी प्रतियोगिता 2025-2026 के विषय में अवगत कराएँ।

यह सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

जितेन्द्र कुमार
3-7-2025
अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

एफ. 44 (79) / 2023 / डीएसडब्ल्यू / प्रशासन / पार्टफाइल / 3105-3164 दिनांक: 4/7/25

सेवा में

1. सचिव (एसडब्ल्यू), डीएसडब्ल्यू, 7वीं मंजिल, एमएसओ बिल्डिंग, आईटीओ, नई दिल्ली-110002।
2. निदेशक (एसडब्ल्यू), डीएसडब्ल्यू, 7वीं मंजिल, एमएसओ बिल्डिंग, आईटीओ, नई दिल्ली-110002।
3. सभी डीडी/डीएसडब्ल्यूओ, डीएसडब्ल्यू, जीएनसीटीडी, दिल्ली।
4. सभी अधीक्षक/डीडीओ/एचओओ, गृह/संस्थान, डीएसडब्ल्यू, नई दिल्ली।
5. वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक, डीएसडब्ल्यू को विभागीय वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

जितेन्द्र कुमार
अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)

536/cc
4/7/25

167/C

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 10(10)/2025-2026-क0सं0 एवं भाषा/डि0से0/1077 से 1157 तक

दिनांक: 11/6/2025

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा
समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

विषय: विविध हिन्दी प्रतियोगिताएं 2025-2026 के संबंध में ।
महोदय/महोदया,

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार-प्रसार करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रुचि पैदा करने के लिये कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रयास किये जाते हैं। इसी क्रम में विभाग द्वारा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	दिनांक	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का समय	स्थान
1.	15.09.2025	हिन्दी निबंध प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	अपराह्न 3.30 बजे	राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, नं.1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली-54
2.	16.09.2025	हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	उपरोक्तानुसार	
3.	17.09.2025	हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता वर्ग "क", "ख" तथा "ग"	उपरोक्तानुसार	
4.	18.09.2025	हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, छठां तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02 (कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले)
5.	19.09.2025	हिन्दी टाइप (मौखिक) एवं हिन्दी टाइप (लिखित)	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	

कृपया अपने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये इच्छुक प्रतियोगियों को सीधे परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने की अनुमति प्रदान करते हुए उनके नाम निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम द्वारा दिनांक 11.09.2025 तक इस विभाग में भिजवाने का कष्ट करें।

विशेष टिप्पणी :-

आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की नियमावली एवं प्रपत्र इसके साथ संलग्न है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक प्रतियोगियों से अनुरोध है कि वे अपना नाम भिजवाने से पूर्व संलग्न की गई नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा कम्प्यूटर पर ली जायेगी। कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले प्रतियोगी कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, छठां तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02 में पूर्वाह्न 10.30 बजे तक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। परीक्षा से संबंधी सूचना नीचे दी गई विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

टीप: संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट <https://artandculture.delhi.nic.in> पर देखी जा सकती है।

भवदीय

(सीमा गोयल)

उप-सचिव/लिंक अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या: 011-23392001-06
इन्टरकॉम नम्बर: 1019, 2624, 3734, 3715

जारी/-



4072/DOA
23/6/25

20/6/25
P.P.S.

106/c

फा.सं. 10(10)/2025-2026-क0सं0 एवं भाषा/डि0से0/11588/1176 नम

दिनांक: 11/6/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली ।
6. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, तीस हजारी, दिल्ली ।
7. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, छठां तल, टावर-II, पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली ।
8. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली ।
9. दिल्ली सरकार के समस्त, स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली ।
10. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली ।
11. कला, संस्कृति एवं भाषा को वेबसाइट पर अपलोड करने के संदर्भ में।

(सीमा गोयल)
11/6/25

उप-सचिव/लिंग अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दूरभाष संख्या: 011-23392001-06

इन्टरकॉम नम्बर: 1019, 2624, 3734, 3715

हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं की नियमावली (वर्ष 2025-2026)

1. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त स्वायत्त निकाय अर्थात् दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, समस्त जिला एवं सत्र न्यायालय और दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं।
2. ये प्रतियोगिताएं निःशुल्क हैं।
3. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् हिन्दी की विविध प्रतियोगिता के प्रश्न पत्र तैयार करना एवं उत्तर पुस्तिकाओं की जांच राजभाषा विभाग, भारत सरकार के अधिकारियों से करवाई जाती है।
4. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना नाम उप-सचिव/कार्यालयाध्यक्ष, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, छठा तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 इस्टेट, नई दिल्ली के पास उचित माध्यम से भेजने होंगे।
5. आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का विवरण निम्न प्रकार से है :-
 - (i) हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता में हिन्दी में 5 मिनट की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दी जायेगी। डिक्टेशन पूर्ण होने के पश्चात् प्रतियोगी को उत्तर पुस्तिका पर डिक्टेशन का हिन्दी रूपान्तरण 40 मिनट की अवधि में टाइप करके अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता में केवल एक ही वर्ग होगा।
 - (ii) हिन्दी टाइप (मौखिक) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा। प्रतियोगिता में टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट निर्धारित है।
 - (iii) हिन्दी टाइप (लिखित) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न-पत्र दिया जाएगा। प्रतियोगिता में टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट निर्धारित है।
 - (iv) कोई भी प्रतियोगिता केवल तभी आयोजित की जा सकेगी, जब संबंधित वर्ग में कम से कम 5 प्रतिभागी अवश्य भाग लें। यदि संबंधित वर्ग की परीक्षा में 5 से कम प्रतिभागी उपस्थित होते हैं तो प्रतियोगिता का आयोजन निरस्त समझा जायेगा।
 - (v) हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में प्रतियोगी को दिए गए विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होगा। निबंध प्रतियोगिता परीक्षा 100 अंकों की होगी और समयावधि 45 मिनट होगी। निबंध का मूल्यांकन भाषा शैली, विषयपरकता, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पत्र में निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :-
 - (i) वर्ग "क" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 व उससे ऊपर के राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे।
 - (ii) वर्ग "ख" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 से 7 के अन्तर्गत अराजपत्रित कर्मचारी शामिल होंगे।
 - (iii) वर्ग "ग" में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् एवं अन्य किसी सरकारी स्वायत्त निकाय संस्थान के अध्यापकगण शामिल होंगे।
 - (iv) वर्ग "घ" में समस्त मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे।

(Signature)

- (vi) हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा और इसके पूर्णांक 100 होंगे। इस प्रतियोगिता में कार्यालय के रोजमर्रा के विषयों से संबंधित हिन्दी में टिप्पणी एवं पत्र/परिपत्र/आदेश/ज्ञापन के प्रारूप लिखने होंगे। मूल्यांकन भाषा-शैली, विषयपरकता, नियमों के अनुसार प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे:-
- वर्ग "क" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 व उससे ऊपर के राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे।
 - वर्ग "ख" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 से 7 के अन्तर्गत अराजपत्रित कर्मचारी शामिल होंगे।
 - वर्ग "ग" में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् एवं अन्य किसी सरकारी स्वायत्त निकाय संस्थान के अध्यापकगण शामिल होंगे।
 - वर्ग "घ" में समस्त मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे।
- (vii) हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का समय 5-7 मिनट होगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :-
- वर्ग "क" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 व उससे ऊपर के राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे।
 - वर्ग "ख" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 से 7 के अन्तर्गत अराजपत्रित कर्मचारी शामिल होंगे।
 - वर्ग "ग" में समस्त मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे।
 - हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता के इस वर्ग में अध्यापकगण शामिल नहीं होगा।
6. प्रत्येक प्रतियोगिता के लिये नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है :-
- | | | |
|---------------------|--------|-------------|
| प्रथम पुरस्कार | (एक) | 4000/-रुपये |
| द्वितीय पुरस्कार | (एक) | 3000/-रुपये |
| तृतीय पुरस्कार | (एक) | 2000/-रुपये |
| प्रोत्साहन पुरस्कार | (पांच) | 800/-रुपये |
7. सभी प्रतियोगिताओं में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हो सकता है परन्तु प्रतियोगी को पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जायेगा, जिसमें प्रतियोगी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। यदि दो अधिकारी/कर्मचारियों ने समान अंक प्राप्त किये हैं तो रोल नम्बर के अनुसार पुरस्कार दिया जायेगा।
8. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सरकार को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबंध, पुरस्कारों की राशि, संख्या, और परीक्षा के स्थान, तिथि व समय आदि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
9. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी विवाद, शिकायत या इसके उपबंधों के निर्वहन आदि के बारे में, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
10. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग तथा हिन्दी अकादमी के अधिकारी/कर्मचारी एवं किसी अन्य संस्थान के राजभाषा विभाग में कार्यरत एवं केन्द्रीय सरकार के अधिकारी/कर्मचारी को भाग लेने की अनुमति नहीं है।

HA/ur 21/11/2024

11. प्रत्येक प्रतियोगिता के किसी एक वर्ग में इस वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रतियोगी अगले एक वर्ष तक उस प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जो प्रतियोगी इस वर्ष की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं, वे अगले वर्ष की प्रतियोगिता में केवल उससे ऊपर के पुरस्कार अर्थात् प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिए ही पात्र होंगे। जो प्रतियोगी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करते हैं वे एक वर्ग में लगातार केवल दो वर्ष तक ही प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे।
12. प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर प्रतियोगी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा इसके अतिरिक्त उसे अगले दो वर्षों के लिए प्रतियोगिता से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी अनियमितता की सूचना उसके विभाग को उचित कार्यवाही हेतु भेज दी जायेगी।
13. केवल दिल्ली सरकार के विभागों, स्वायत्त निकायों के कार्यालयों के वेतन रोल पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी ही प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र होंगे, जिनके नाम विभाग द्वारा उचित माध्यम से इस विभाग को प्राप्त होंगे तथा कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कार्मिक इस प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
14. प्रतिभागी अपने संबंधित वर्ग में ही प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र होगा, किसी अन्य वर्ग में नहीं।
15. प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

Handwritten signature
11/6/15

(सीमा गोयल)

उप-नियंत्रक लेखा (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दूरभाष संख्या: 011-23392001-06

इन्टरकॉम नम्बर: 1019, 2624, 3734

162/L
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(कार्यालय का नाम)

हिन्दी निबंध, हिन्दी टिप्पण-आलेखन, हिन्दी सुलेख, हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टाइप (लिखित/मौखिक) प्रतियोगिता 2025-2026 में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्र:-

(प्रपत्र के सभी कॉलम भरने अनिवार्य हैं)

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति/माता का नाम :
3. पदनाम :
4. वेतन मैट्रिक्स में स्तर :
5. शैक्षिक योग्यता :
6. विभाग का नाम व पूरा पता :
7. ई-मेल आईडी (अवश्य लिखें) :
8. अधिकारी/कर्मचारी का मोबाईल नम्बर :

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

अग्रसारित करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोट: कृपया प्रपत्र भरने से पूर्व संलग्न नियमावली अवश्य पढ़ें।